भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 484

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2024

दिव्यांग/मूक-बधिर बच्चों हेतु स्कूल

484. श्री रामचरण बोहरा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में मूक-बधिर बच्चों सहित शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए एजेंसी-वार/संगठन-वार और राज्य-वार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्थापित ऐसे स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में कोई कमियां पाई गई हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (च): जी, नहीं। तथापि, विभाग अपने राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट दिव्यांगताओं के लिए मॉडल स्कूल चलाता है और पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त संस्थानों द्वारा उपयोग की गई निधियों की राशि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राष्ट्रीय संस्थान का नाम	खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (31.12.23 तक)
1	पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली	12.65	0.47	0.27	0.00*
2	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	236.28	249.50	338.90	301.35
3	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद	270.65	301.46	306.07	275.95
4	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	110.58	128.99	141.35	130.66

* एकीकृत प्राथमिक विद्यालय को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है।

*****